



Neutral Citation Number-2026:AHC:59274

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8487/2026

श्रीमती मीरा देवी

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: उमेश कुमार त्रिपाठी

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह तत्काल जमानत आवेदन, पुलिस थाना-बबीना, जिला-झाँसी में दर्ज वाद अपराध संख्या- 352/202, धारा 103(1), 238, 352, 351(3) बी.एन.एस. में, विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने के अनुरोध के साथ दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि शुरू में, दिनांक 11.11.2025 की सुबह, शिकायतकर्ता ने मृतक शीला देवी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी; उसके बाद, जब मृतक शीला देवी का शव मिला, तो दिनांक 11.11.2019 को दोपहर 12:35 बजे एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जिसमें आवेदक और उसके बेटे बृज लाल पर शीला देवी की हत्या करने का शक जाहिर किया गया था। आवेदक के वकील ने आगे कहा कि सह-आरोपी बृज लाल ने अपने बयान में कबूल किया कि उसने हंसिया से शीला देवी की हत्या की थी, और उसके बाद उसकी निशानदेही पर हंसिया भी बरामद कर लिया गया। बृज लाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब वह शीला देवी की हत्या कर रहा था, तब आवेदक थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि कथित घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार सह-आरोपी बृज लाल से बरामद किया गया है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को इस मामले में केवल इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि वह सह-आरोपी बृज लाल की माँ है और मृतक शीला देवी के परिवार के साथ उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे। वर्तमान आवेदक के खिलाफ कोई भी ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो उसे दोषी साबित करता हो। यह भी कहा गया है कि आवेदक एक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 12.11.2025 से जेल में है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्य पर कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है; साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार सह-आरोपी बृज लाल से बरामद कर लिया गया है; और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को भी देखते हुए; तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को भी ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधवान बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में रिपोर्टेड)**, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों पर विचार करते हुए; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर पहुँचता हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **श्रीमती मीरा देवी** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि **'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021** के तहत दिनांक **31.01.2023** को तय किया गया था और **(2024) 10 एस.सी.सी. 685** में रिपोर्ट किया गया है इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

23 मार्च, 2026

सीएस/-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"